कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण **तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।**

इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासात्मक कार्यवाही प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/ बी–III/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्र0अ0–प्रधाना/16–17/वो–2/21 दिनांकः–02–08–2021 के द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप इनका पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु दिनांक 24.08.2021 को काउसिलिंग का आयोजन किया गया जिनमें इनके द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर निम्नानुसार इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय–उमावि0 में प्रधानचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है:–

क्रसं	वरिष्ठता क्रमाक	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1 से पूर्व 159/ 13–14	2017–18 शिड्यूल I/II	सीताराम शर्मा, प्रअ	15-06-1963	सामान्य	रामावि, जीरोता खुर्द	दौसा	राउमावि, चितार (214117),रायपुर,पाली

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

सम्बंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांकः– 19.09.2021 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगें, संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/डीपीसी बंद लिफाफा/2018–19/239 दि0:: 13/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा,
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय–माध्यमिक
07. संबधित संस्था प्रधान।
08. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति, तत्काल अनिवार्य रूप से करेगें ।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था ए–4/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी प्रकोष्ठ।
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचा (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण ए अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्ण **बन्द लिफाफे में रखा गया था।**

इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासात्मक कार्यवाही प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/ बी–III/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्र0अ0–प्रधाना/16–17/वो–2/21 दिनांकः–02–08–2021 के द्वारा चयनित कि गया हैं। निम्नांकित प्रधानाचार्य पूर्व से ही प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होने के कारण इन्हे प्रधानचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद निम्नानुसा यथावत पदोन्नत किया जाता है:–

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन	जिला
1	1470/ 13–14	2018–19 शिड्यूल I/III	रतनलाल मीणा, प्र0अ0	02-02-1979	एसटी	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHOTI SARWA (224007) (08280812208)KUSHALGARH	बांसवाड़ा

पदोन्नत अधिकारी को पाबन्द किया जाता है उक्त आदेश के साथ नियंत्रण अधिकारी से सम्पर्क कर सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से नवीन डीपीसी चयन का इन्द्राज करावें। नियंत्रण अधिकारी उक्त इन्द्राज की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवें। इसके अतिरिक्त उक्त नवीन चयन का परीक्षण लेखाधिकारी से करवाया जाकर वेतन निर्धारण की कार्यवाही भी आवश्यक रूप से पूर्ण करें। पदोन्नत अधिकारी शाला दर्पण में भी उक्त आदेश से हुए परिवर्तन का इन्द्राज आवश्यक रूप से करेगें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/डीपीसी बंद लिफाफा/2018–19/240 दि0:: 13/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा,
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय–माध्यमिक
07. संबधित संस्था प्रधान।
08. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति, तत्काल अनिवार्य रूप से करेगें ।
09. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था ए–4/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी प्रकोष्ठं।
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department